(क) क्या गृह मंत्रालय ने 05 नवम्बर, 2009 के उपने पत्र संख्या 14035/3/2009 यूटीएस-। के माध्यम से दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध स्‍कंध से संबंधित जन प्राधिकारियों को धोखाधड़ी के ऐसे मामलों, जो आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, मुम्बई की तुलना में ज्यादा गंभीर हैं, की जांच करने का निर्देश दिया था परन्तु संबंधित अधिकारी बड़े ही परिष्कृत तरीके से इस समपूर्ण ‘मुद्दे’ को हलका बनाने का चतुराई पूर्ण खेल खेल रहे हैं;

(ख) आज की तिथि में ऐसे प्रत्येक ‘मुद्दे’ से संबंधित जांच रिपोर्ट के क्या संपुष्ट प्रमाण रिकार्ड में लिए गए हैं; और

(ग) इस सम्पूर्ण मामले में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क): गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 5 नवम्बर, 2009 के पत्र संख्या 14035/3/2009- यूटीएस-1 के माध्यम से पुलिस उपायुक्त से इन आरोपों की जांच कराने का अनुरोध किया था।**

**(ख) प्रश्नों का उत्तर अनुलग्नक-1 में दिया गया है।**

**(ग) इस समय गृह मंत्रालय की तरफ से कोई कार्रवाई लम्बित नहीं है।**

**अनुलग्नक-1 का 1/2**

**25.04.2012 के राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2244 के भाग (ख) का उत्तर**

**दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अवैध भूमि कब्जा तथा वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच की। अपराध शाखा ने संबंधित सम्पत्ति के कब्जाधारियों से दस्तावेज प्राप्त किए तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं अन्य राजस्व प्राधिकारियों से इनका सत्यापन करवाया। जांच के दौरान निम्नलिखित तथ्य सामने आए**

**1. कोओपरेटिव सोसॉयटी के राजिस्ट्रार ने दिल्ली पुलिस आर्थिक अपराध शाखा को सूचित किया कि रिकॉर्ड सोसायटी के ड्रॉ, हलफनामे इत्यादि से संबंधित रिकार्ड फाइल में उपलब्ध नहीं हैं और इस संबंध में सोसाइटी से सम्पर्क किया जा सकता है।**

**2. सोसाइटी ने सूचित किया कि अधिकतर रिकार्ड पूर्व अध्यक्ष एन आर गुप्ता द्वारा ले जाए गए थे जो कि शिकायतकार्ताओं में से एक हैं। उनको दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कई बार पत्र जारी किए गए परंतु सभी प्रयास असफल हुए।**

**3. दिल्ली विकास प्रधिकरण ने संबंधित भूमि खण्ड/फ्लैट के मौजूदा धारको के नाम पर स्वामित्व के रुपांतरण का सत्यापन किया है तथा इसे प्रमाणिक एवं सत्य पाया है। आर्थिक अपराध शाखा ने डी डी ए द्वारा रखे गए स्वामित्व रुपांतरण कार्यान्ययन रजिस्टर की जांच की है। डी डी ए ने सूचित किया है कि वर्तमान में सम्पत्तियों की मूल फाइलें नहीं पाई गई है अत: सम्पत्ति के प्रमाणिक दस्तावेज नहीं दिए जा सके।**

**4. फार्म हाउस का विक्रय विलेख भी आर्थिक अपराध शाख द्वारा उपरजिस्ट्रार के कार्यालय से सत्यपित किया गया तथा इसे प्रमाणिक एवं सत्य पाया गया। निम्नलिखित फ्लैट/भूमि खण्डों के विवरण सुनिश्चित किए गए।**

**(i) भूमि खण्ड संख्या 8/5 सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली ( श्री अनिल कृष्णा के नाम पर)**

**(ii) भूमि खण्ड संख्या 9/2 ए, सर्वप्रिय विहार नई दिल्ली (वी आर सिंघल एवं श्रीमती किरण सिंघल के नाम पर)**

**(iii) भूमि खण्ड संख्या 7/19 सर्वप्रियबिहार नई दिल्ली ( श्री एस पी गुप्ता के नाम पर)**

**(iv) फ्लैट संख्या 102, सर्वप्रिय अर्पाटमेन्ट सर्वप्रिय बिहार, नई दिल्ली (श्रीमती रेखा, पुत्री स्वर्गीय श्री एस पी गुप्ता के नाम पर)**

**(v) फ्लैट संख्या 104 सर्वप्रिय अर्पाटमेन्ट सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली मैसर्स ए.जे.एस. कन्टेनूर्स (पी) लिमिटेड के नाम पर)**

**जारी....3/-**

**-3-**

**अनुलग्नक-1 का 2/2**

**राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2244**

**(vi) राजा फार्मा हाउस, बिजवासन, दिल्ली (श्री एस.के. गुप्ता के नाम पर) संबंधित भूमि खण्डों/फ्लैटो की जांच तथा सत्यापन के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर आर्थिक अपराध शाखा ने सूचित किया है कि उपर्युक्त सम्पत्तियों के वर्तमान कब्जाधारक इन सम्पतियों में लम्बे समय से रहे हैं। उनके द्वारा उनके स्वामित्व के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों को डी डी ए के उपलब्ध रिकॉर्डों तथा उपरजिस्ट्रार कार्यालय से जांच लिया गया है तथा इनकों सत्य पाया गया है। भले ही सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्रों की मूल प्रतियां आर ओ सी एस, डी डी ए अथवा आवंटन प्राप्त कर्ता किसी के पास भी नहीं पाई गई है।**

 **जहाँ तक वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का प्रश्न है शिकायतकार्ता द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही आर ओ सी एस अथवा डी डी ए के पास कोई संबंधित रिकार्ड /दस्तावेज उपलब्ध थे।**